

## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक .....माह..... वर्ष 2017 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतदपश्चात् "परिषद" कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्षिणी है और सम्मिलित है।

एक पक्ष और श्री/श्रीमती/कुं0.....  
पुत्र/पुत्री/पति.....श्री.....  
वर्तमान पता—..... जिसके एतदपश्चात् पंजीकृत इच्छुक क्रेता, कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक क्रेता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि:-

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में आम्रपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ नामक मुहल्ले में ..... प्रकार का भवन संख्या.....का निर्माण किया गया है और चूंकि उक्त परिषद ने रू0 .....जिसका आधा रू0 .....होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त ..... को जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतदपश्चात् उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि

इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्ध और शर्तों के अधीन क्रय करने के लिए सहमत है अतएव अब **रु0** ..... की धनराशि के प्रतिफलस्वरूप और सभी समबद्ध पक्षों के लिए इसमें समाविष्ट निबन्धन और शर्तों के अधीन परिषद एतद्द्वारा आम्रपाली योजना,हरदोई रोड,लखनऊ में स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना (सम्पत्ति संख्य.....) जिसे नीचे दी गई अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, इच्छुक क्रेता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है:—

1. परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद्द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।
2. एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।
3. उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक क्रेता को प्रदत्त किया गया।
4. इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।
5. यदि इच्छुक क्रेता एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार गस्तता, किन्हीं दावों मांगों के कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद इच्छुक क्रेता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।
6. उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों और मकानों के इच्छुक क्रेताओं को पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन क्रय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या

परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय-समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें, जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दृष्टि में किया गया है और इच्छुक क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी और न ही कोई दावा इस संबंध में स्वीकार्य होगा (ख) इच्छुक क्रेता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ क्रय किया है और इच्छुक क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक क्रेता उक्त परिषद की कालोनी में सड़को, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या ..... ) पर प्रथम प्रभार के रूप में हागी और परिषद् उक्त धनराशि को..... प्रतिशत की दर से ब्याज सहित पंजीकृत क्रेता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

पंजीकृत इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति का उपयोग आवासीय प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा।

इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक क्रेता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या .....स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं समझा जायेगा।

10. क्रेता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तों के अधीन होंगे।

11 उक्त भवन सं० ..... का पूर्व में किराया किस्त क्रय किरायेदारी अनुबन्ध, ..... श्रेणी का भवन होने के कारण शासनादेश सं०/.....के क्रम में रु० .....के स्टैम्प पेपर पर निष्पादित किया जा चुका है जो उपनिबन्धक..... के कार्यालय में दि० ..... को बही सं० ..... जिल्द सं० ..... पृष्ठ सं० .....से ..... पर क्रमांक ..... पर पंजीकृत है। अब आवंटी ने उक्त भवन सं० ..... के पूर्ण मूल्य धनराशि रु०—..... एवं ब्याज/दण्डब्याज के रूप में धनराशि रु—..... अर्थात् कुल धनराशि रु०—..... का भुगतान परिषद खाते में कर दिया है। इस सम्पत्ति के इच्छुक क्रेता/आवंटी को कब्जा दिनांक ..... को दिया जा चुका है। अतः भवन .....वर्ग का होने कारण उक्त शासनादेश के क्रम में रु०—..... के स्टैम्प पेपर पर विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा है।

जिलाधिकारी, लखनऊ के वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार भवन सं० . ..... में समाविष्ट ..... व०मी० भूमि का रु० ..... प्र०व०मी० की दर से भूमि मूल्य रु० ..... एवं ..... व०मी० का रु० ..... प्र०व०मी० की दर से निर्माण मूल्य रु० ..... अर्थात् भवन का कुल मूल्य रु० ..... होता है।

जिसके साक्ष्य में श्री मिर्जा जावेद कदर, सम्पत्ति प्रबन्धक ने परिषद के लिए और उसकी ओर से श्री/श्रीमती/कुं०..... क्रेता ने स्वयं खरीददार के रूप में स्वेच्छा और सम्मति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्द्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर किये।



## आश्वासन –पत्र

मुझे परिषद की आम्रपाली योजना, हरदोई रोड,लखनऊ, में दु० आ० वर्ग भवन सं० ..... आवंटित है। मैंने भवन का पूर्ण भुगतान परिषद में कर दिया है। भविष्य में यदि कोई धनराशि अवशेष निकलती है तो मैं उसे परिषद में जमा करने का लिखित आश्वासन देती हूँ ।

मेरे द्वारा कोई अनधिकृत निर्माण नहीं कराया गया है और न ही भविष्य में किया जायेगा और न ही मैं व्यवसायिक प्रयोग करूंगी।

( आवंटी)